विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में अक्सर पृच्छा किये जाने वाले प्रश्न

Frequently Asked Questions on EPR

प्रश्नः 1. EPR (Extended Producer Responsibility) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्या है ?

उत्तरः प्रोड्यूसर/उत्पादक द्वारा उत्पादित समानों को जितने प्लास्टिक पैकेजिंग पदार्थ में पैक कर बाजार में भेजा जाता है तथा समानों के उपयोग के बाद बचे हुए प्लास्टिक पैकेजिंग सामगी को बाजार से वापस लिये जाने की प्रक्रिया को EPR कहा जाता है।

प्रश्नः 2. यह किन लोगों पर लागू होता है ?

उत्तरः यह सभी प्रकार के प्लास्टिक पैकेजिंग वस्तुओं के उत्पादक पर लागू है:-

(क) उत्पादक (Producer) ओद्यौगिक इकाईयाँ या व्यक्ति जो अपने उत्पादों को किसी भी प्रकार के प्लास्टिक पैकेजिंग वस्तुओं, प्लास्टिक शीट या कवर का उपयोग, वस्तुओं को ढकने,लपेटने या पैकेजिंग में करते हैं।

(ख) आयातक (Importer) जो किसी भी प्रकार के प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का आयात करते हैं, जिसका उपयोग ढकने, लपेटने या पैकेजिंग में किया जाता है। इसमें प्लास्टिक में पैक वस्तुओं के आयातक भी शामील है।

(ग) ब्रांड मालिक (Brand Owners), जिसमें ऑनलाईन प्लेटफार्म/मार्केट प्लेस और सुपर-मार्केट /खुदरा श्रृंखला शामिल हैं, जिसमें सुक्ष्म एवं छोटे (Micro एवं Small) उद्योग नहीं आते हैं।

प्रश्नः 3. क्या यह सभी प्रकार के प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रभावी है ?

उत्तरः नहीं । यह सभी प्रकार के सख्त (Thermoset Plastic को छोड़कर) एकल परत वाले मुलायम प्लास्टिक एवं अनेक परतों वाले (Multilayer Plastic) (जिसमें कम से कम प्लास्टिक की एक परत एवं प्लास्टिक से अलग के पदार्थ की एक परत हो) प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री से बने उत्पादों पर प्रभावी है।

प्रश्नः 4. प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility) विनियमन किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तरः प्लास्टिक पैकेजिंग वस्तुओं को पुनः उपयोग (Reuse), पुनः चक्रण (Recycle), पुनः चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग (Using Recycle Plastic Material), एवं प्लास्टिक पैकेजिंग वस्तुओं (Plastic Packaging Material) का मियाद (End of Life) खत्म होने पर निपटान के द्वारा इसका विनियमन किया जा सकता है।

प्रश्नः 5. प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का मियाद (End of Life) खत्म होने पर निपटान किस प्रकार होता है ?

उत्तर: प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का निपटान नियमानुकुल निम्न प्रकार से किया जा सकता है:–

- पुन:चक्रित किये जा सकने वाले सख्त एवं लचीली प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का पुन:चक्रण कर ।
- जो प्लास्टिक पुन:चक्रित न हो सकते हैं को
  –सिमेंट प्लांट में Co-processing कर
  –प्लास्टिक से तेल (Oil) का निर्माण कर
  –प्लास्टिक सामग्री से सड़क निर्माण कर
  –प्लास्टिक सामग्री से उर्जा उत्पादन कर
- जो प्लास्टिक ना तो पुन:चक्रित अथवा अन्य तरह से निपटान न हो सके उसे Landfill site में निपटान किया जाना है।

प्रश्न: 6. प्लास्टिक अपशिष्ट के विनियमन (Regulation) हेतु क्या–क्या प्रावधान है ?

उत्तर: प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को दिनांक 18.03.2016 से लागू किया है। उक्त नियमावली के नियम–13 के अनुसार संस्थानों/ औद्योगिक इकाईयों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली से (जो दो से अधिक राज्यों में कार्यरत हैं) अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से (जो एक या दो राज्यों में कार्यरत हैं) से निबंधन (Registration) कराने का प्रावधान है।

प्रश्न: 7. निबंधन प्राप्त करने हेतु कहाँ और किस प्रकार से आवेदन जमा किया जाता है ?

उत्तर: PIBOs जो दो से अधिक राज्यों में कार्यरत है उन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के Online Portal (cpcb.nic.in/registration-for-brand-owner/) से आवेदन कर निबंधन प्राप्त किया जाना है। PIBOs (Producer, Importer, Brand Owners) जो एक या दो राज्यों में कार्यरत हैं उन्हें उस राज्य के राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के Online Portal (बिहार राज्य के लिए bhocmms.nic.in) से आवेदन समर्पित कर प्राप्त किया जाना है।

प्रश्न: 8. निबंधन के लिये किन कागजातों की आवश्यकता है ?

उत्तर: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के तहत् निबंधन प्राप्त करने के लिये निम्नांकित कागजात आवश्यक हैं:–

i. पंजीकरण के लिये निर्धारित प्रोफार्मा (Proforma) में सभी सूचनाओं को अंकित करना एवं आवश्यक कागजात संलग्न करना,

ii. जिला औद्योगिक केन्द्र से प्राप्त पंजीकरण की प्रति,

iii. राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से अद्यतन प्राप्त वैध Consent-to-Operate (CTO) (जल एवं वायु) की प्रति,

iv. उत्पादन प्रक्रिया (Manufacturing Process) का विस्तृत व्योरा, चित्र अंकन के साथ,

v. प्लास्टिक पैकेजिंग निर्माण अथवा उपयोग में काम आने वाले Raw Material को उपलब्ध कराने वाले का संस्था अथवा व्यक्ति का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, ई–मेल आई. डी, इत्यादि।

vi. उत्पादित पैकेजिंग सामग्री जो ब्रांड मालिक को उपलब्ध कराये गये हैं के ब्रांड मालिक का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, ई–मेल आई.डी, इत्यादि।

vii. Extended Producer Responsibility (EPR) का Action Plan (Category Wise एवं State Wise),

viii. सभी निदेशकों/अधिकृत व्यक्तियों का PAN No., GST No., CIN No., Aadhar Card Number इत्यादि।

प्रश्न: 9. क्या यह सही है कि आने वाले समय में Central Pollution Control Board, Delhi द्वारा विकसित EPR Portal के माध्यम से ही सभी वर्गों का पंजीकरण (Registration)किया जाना है ?

उत्तर: हाँ, यह सही है।

प्रश्न: 10. यदि पंजीकरण के वगैर इकाई या व्यवसाय का संचालन किया जाये तो क्या होगा ?

उत्तर: (क) प्रावधानों के तहत् वगैर पंजीकरण के व्यवसाय नहीं किया जा सकता है।

(ख) वगैर पंजीकरण वाले इकाईयों के साथ भी व्यवसाय नहीं किया जायेगा। अगर इस प्रकार का व्यवसाय किया जाता है तो माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा O.A. 247/2017 में दिनांक 08.01.2021 को पारित आदेश के आलोक में ऐसे इकाईयों को रू5000/प्रति टन के दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाये जाने का प्रावधान है, जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के लागू होने कि तिथि से गणना किया जा सकेगा।

प्रश्न: 11. जाने अनजाने में कोई गलत सूचना दी गयी हो तो क्या उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है ?

उत्तर: हाँ । कोई पंजीकृत संस्था झूठी जानकारी अथवा जानबुझ कर जानकारी छुपाई है अथवा कोई अनियमितता है तो ऐसी इकाई का पंजीकरण पाँच साल तक के लिये रद् की जा सकेगी तथा ऐसी संस्था का नये सिरे से पंजीकरण नहीं किया जायेगा।

प्रश्न: 12. अगर कोई इकाई या संस्था एक से अधिक श्रेणी में आती है तो उन्हें किस श्रेणी में पंजीकरण कराना होगा ?

उत्तरः (क) ऐसी संस्था/इकाई जिन-जिन श्रेणियों में आती है उन्हें अलग-अलग श्रेणियों के लिये पंजीकरण कराना होगा।

(ख) ऐसी संस्था/ इकाई जिनकी इकाईयाँ अलग-अलग राज्यों में होगी तो उन्हें उक्त इकाईयों के लिये सभी राज्यों से पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

(ग) ऐसी संस्था/ इकाई जिनकी एक राज्य में एक से अधिक इकाईयाँ हैं तो उन्हें एक ही पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

प्रश्नः 13. PIBOs के लिए EPR की गणना किस प्रकार की जाती है ?

उत्तरः PIBOs के लिए EPR की गणना (Category Wise एवं State Wise) निम्न प्रकार हैः-

(क) Producer (उत्पादक):- Q1(in MT)= (A+B)-C

जहाँ- Q1= उत्पादक के लिये Eligible Quantity है,

A = गत दो वित्त वर्ष में प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की बिक्री का औसत वजन (Category Wise एवं State Wise)

B = गत दो वित्त वर्ष में Pre-consumer plastic packaging waste का औसत वजन

C= गत वर्ष Brand Owner's (Sub-clause 4 iii) को की गयी आपूर्ति की वार्षिक मात्रा।

(ख) Importer (आयातक):- **Q2(in MT)=(A+B)-C**

जहाँ Q2= आयातक के लिये Eligible Quantity है,

A= गत दो वित्त वर्ष में बिक्री किये गये सभी प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री और/अथवा आयात किये गये उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग का औसत वजन।

B = गत दो वित्त वर्ष में Pre-consumer plastic अपशिष्ट की औसत मात्रा।

C= गत वित्त वर्ष में Sub-clause 4 iii को की गयी आपूर्ति की वार्षिक मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा।

(ग) Brand Owner :- **Q3(in MT)=(A+B)**

Q3 = Brand Owner के लिये Eligible Quantity

A= गत दो वित्त वर्ष मे बाजार में ताजा प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की खरीद और बाजार में पेश की गयी सामग्री का औसत वजन। (Category Wise एवं State Wise)

B = गत दो वित्त वर्ष में Pre-consumer प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की मात्रा।

प्रश्नः 14. क्या Biodegradable Plastic Packaging सामग्री पर कोई छूट है?

उत्तरः हाँ, वैसे Biodegradable Plastic Packaging सामग्री जो परिवेशीय वातावरण में

100% Biodegradable है तथा उनका स्वास्थ्य या पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती या कोई Micro-Plastic/Chemical Waste या कोई अन्य निशान नहीं छोड़ती एवं CPCB, BIS, CIPET से प्रमाणित हो, को EPR से 100% छूट प्रदान की गयी है।

प्रश्न: 15. क्या लक्ष्य प्राप्ति से ज्यादा EPR किये जाने का प्रावधान है ? यदि है तो उसके क्या फायदे हैं ?

उत्तर: Category Wise एवं State Wise से ज्यादा EPR किये जाने पर इसे Surplus (अधिशेष) EPR माना जाता है एवं इसका उपयोग निम्न प्रकार किया जा सकेगा:-

i. पिछले वर्ष के EPR की कमी को पूरा करने के लिये,
ii. आगामी वर्ष में उपयोग के लिये,
iii. इसे अन्य PIBOs को बेचने के लिये।

उक्त कार्य श्रेणीवार (Category Wise) ही किया जा सकेगा, साथ ही:-

(क) पुनःउपयोग के Surplus को पुनःउपयोग, पुनःचक्रण एवं निपटान में किया जा सकेगा,

(ख) पुनःचक्रण के Surplus को पुनःचक्रण एवं निपटान में किया जा सकेगा,

(ग) निपटान के Surplus को पुनःउपयोग, पुनःचक्रण में नही किया जा सकेगा।

प्रश्न: 16. PIBOs की प्रमुख भूमिकायें या दायित्व क्या है ?

उत्तर: PIBOs की प्रमुख भूमिकायें या दायित्व निम्न हैं:-

i. पंजीकरण एवं EPR की कार्य-योजना तैयार करना,
ii. PIBOs के बीज प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का लेन-देन,
iii. प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण,
iv. वार्षिक विवरणी को तैयार करना एवं CPCB अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् में जमा करना।

प्रश्न: 17. पुनःचक्रणकर्ता अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं (Plastic Waste Processors) की भूमिका अथवा दायित्व क्या है ?

उत्तर: पुनःचक्रणकर्ता अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की भूमिका अथवा दायित्व निम्न हैं:-

i. संबंधित केन्द्रीय/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से पंजीकरण प्राप्त करना,
ii. वार्षिक विवरणी को तैयार करना एवं CPCB अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् में जमा करना।
iii. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण का प्रमाण पत्र निर्गत करना,
iv. प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का मियाद समाप्ति पर उसका निपटान करना ।